

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र
प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 408/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का ~~.....~~, भू अ0नि0 वृत्त ~~.....~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा ~~.....~~ तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2020 ~~.....~~ के खाता संख्या ~~.....~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | मौजा | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|------------------|-------------|--------------------------------------|---|
| 1. | | 285 | मांगीतान उत भैरु | मांगीतान उत भैरुतान |

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(48)2021
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 15/11/2021

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~.....~~ को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

